निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1935 (श0)

(सं0 पटना 557) पटना, वृहस्पतिवार, 11 जुलाई 2013

वाणिज्य–कर विभाग

———————

अधिसूचना

30 अक्तूबर 2012

सं0 बिक्री–कर/विविध–43/2011–6888––बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 40 के उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अधीन पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 5441, दिनांक 12 जुलाई, 2012 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में निम्नांकित संशोधन करते हैं:–

1. आउट–टु–आउट ट्रांजिट पास के निर्गमन हेतु निबंधित परिवहनकर्त्ताओं द्वारा अपने निबंधन को अपडेट किया जाना होगा एवं नये परिवहनकर्त्ताओं को नया निबंधन प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित सूचनाएँ विभागीय कम्प्यूटर प्रणाली में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य होगा:–

(क) परिवहनकर्त्ता का नाम,

(ख) परिवहनकर्त्ता कंपनी के स्वत्वधारी/निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का नाम,

(ग) परिवहनकर्त्ता या परिवहनकर्त्ता कंपनी के स्वत्वधारी/निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पैन (PAN),

(घ) मोबाईल या दूरभाष संख्या (दोनों में से कोई एक)।

2. भारत के किसी राज्य से किसी दूसरे राज्य में माल के परिवहन करने के क्रम में बिहार से होकर गुजरनेवाले सभी वाहनों पर परिवहित किये जा रहे मालों के संदर्भ में परिवहनकर्त्ता द्वारा, करमुक्त मालों के परिवहन को छोड़ कर, consignor का TIN एवं consignee का TIN भरा जाना अनिवार्य होगा। करमुक्त मालों के परिवहन के निमित्त चयन किये जाने पर सिस्टम द्वारा consignor एवं consignee का TIN स्वतः भरा जायेगा।

3. भारत के बाहर से आयात किये जा रहे ऐसे माल जिनका परिवहन बिहार राज्य से होकर किसी अन्य राज्य को किया जा रहा है के संदर्भ में consignor TIN देने की बाध्यता नही होगीं। इसी प्रकार भारत के किसी राज्य से भारत के बाहर मालों के निर्यात के क्रम में यदि मालों का परिवहन बिहार राज्य होकर किया जाता हो तो ऐसे मामले में consignee TIN देने की बाध्यता नही होगीं। ऐसे मामलों में यदि परिवहकर्ता द्वारा भारत के बाहर के किसी देश का चयन किया जाता है तो सिस्टम द्वारा consignor एवं consignee का TIN स्वतः भरा जायेगा।

4. आउट–टु–आउट की सुविधा generate करते समय परिवहनकर्त्ता को पूर्व में ही संभावित Entrycheck-post एवं Exit check-post का नाम ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन कर अंकित करना अनिवार्य होगा।

5. सिस्टम द्वारा प्रतिदिन ऐसे परिवहनकर्त्ताओं के ट्रकों की सूची निकाली जायेगी जो बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश करने के 72 घंटे से अधिक अवधि तक निकासी check-post से नही निकलते हैं तथा इस सूची को अधोहस्ताक्षरी एवं चेक–पोस्ट प्रभारी पदाधिकारी को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

6. जो परिवहनकर्त्ता नेपाल के लिए माल का परिवहन कर रहे हैं अथवा नेपाल से माल को भारत के दूसरे राज्यों में परिवहित कर रहे हैं द्वारा क्रमशः Exit check-post एवं Entry check-post रक्सौल अथवा जोगबनी मे अवस्थित कस्टम चेक–पोस्टों में से किसी एक कस्टम चेक–पोस्ट पर प्रविष्ट कराया जाना होगा। इस निमित्त संबंधित कस्टम चेक–पोस्ट को विभाग के द्वारा user I.D. एवं password उपलब्ध करा दिया गया है।

7. ऐसे परिवहनकर्त्ता जो एक ही वाहन में एक से अधिक consignee का माल परिवहित कर रहे हैं, को एक ही सुविधा सिस्टम के द्वारा generate किया जायेगा। इस सुविधा में अलग–अलग consignee के लिए अलग–अलग sub-suvidha number दिए जायेंगे। इन sub-suvidha number को generate करने के लिए consignor एवं consignee के TIN के साथ–साथ वह सभी सूचनाएँ सिस्टम में upload करनी होगी जो सुविधा generate करने के लिए आवश्यक होती हैं। ये sub-suvidha number मिलकर सिस्टम द्वारा उस वाहन में परिवहित किये जा रहे मालों के बतौर manifest के रूप में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 557-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in